# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं.14/2021

**प्रार्थी–**
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कार्यालय आर ओ, एस ए आर ब्रान्च, सूरत सिटी, बी 6, बडोदा सन कॉम्पलेक्स, तृतीय तल, पांजरा पोल, घोड–दौड रोड, सूरत गुजराज

*बनाम*

**अप्रार्थीगण–**

1. मैसर्स अरहम नोन वोवेन प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर धर्मेस माणिक चन्द जैन, पता – 102, जे.बी.सुपर मार्केट, सब जेल के पास, रिंगरोड़, सूरत –395002
2. राजेन्द्र सोहनलाल जैन, पता – बी–2, तारा जंयत अपार्टमेंट , लक्ष्मी विलास अपार्टमेंट के पीछे, घुड़दौड़ रोड़ सूरत–395007
3. निशान्त महावीर डागा, पता– 304, प्रेम कुटीर, जैनदर्शन मार्ग, सांताक्रुज मुम्बई–400054
4. सुश्री प्रतिमा बेन आर जरीवाला, पता– 28 जग्गनाथ हाउसिंग सोसायटी, शास्त्री नगर, खतदारा सूरत
5. मैसर्स झिलमिल नॉन वोवेन प्रा. लि., पता– महूवेज, ब्लॉक नं. 542/01, एन. एच. 08, महूवेज चौकड़ी, तालूका मांगरोल, सूरत– 395002
6. महावीर चन्द पी डागा, प्रापराईटर मैसर्स महावीर चन्द डागा पता –301, प्रेम कुटीर जैन दर्शन मार्ग , सांताक्रुज, मुम्बई– 400054

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्रसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

# आदेश

दिनांक : 05.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स अरहम नोन वोवेन प्रा. लि. व अन्य के विरूद्ध पेश किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स अरहम नोन वोवेन प्रा. लि. व अन्य की प्रार्थना एवं व्यक्तिगत जमानत पर प्रतिभूतियों के एवज मे कुल **14,55,00,000/–** रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप मे सम्पत्ति यथा **मैसर्स महावीर चन्द डागा जरिये प्रोपराईटर श्री महावीर चन्द पी डागा की औद्योगिक सम्पति जो प्लॉट नम्बर डी–400, रिको औद्योगिक क्षेत्र फेज–चतुर्थ कस्बा बालोतरा में स्थित भूमि, भवन, ढांचा आदि जो अचल सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 4248 वर्गमीटर है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार किया एवं दिनांक 19.04.2014 को साम्यिक बन्धक रहन किया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.09.2019 तक बकाया शेष रूपये 12,94,35,780/-- भुगतान नही करने पर अप्रार्थी का खाता एनपीए घोषित कर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से पंजीकृत पावती जनक द्वारा नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested

मे लेना सम्भव नही है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 14,55,00,000/– ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 04.09.2019 तक कुल 12,94,35,780/– बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। ***सुनंदा कुमारी (श्रीमती) बनाम स्टैण्डर्ड चार्टड बैंक, 2007 (135) कम्प.केस. 604 (कर्नाटक)*** के प्रकरण में जैसाकि निर्धारित किया गया हैं कि यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका हैं तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा 14 के अधीन प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नही हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से धारा 13(2) को नोटिस विधिवत रूप से अप्रार्थीगण को संसूचित किया गया है, इसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नही किया है। ऐसे मे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी बैंक के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 से 6 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष मे प्रतिभूति के रूप मे रखी गई उक्त सम्पत्ति **"मैसर्स महावीर चन्द डागा जरिये प्रोपराईटर श्री महावीर चन्द पी डागा की औद्योगिक सम्पत्ति का प्लॉट नम्बर डी–400, रिको औद्योगिक क्षेत्र फेज–चतुर्थ कस्बा बालोतरा स्थित भूमि, भवन, ढांचा आदि जो अचल सम्पति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 4248 वर्गमीटर है"** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested

पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05/7/21

( लोक बंधु )
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.13 17:58:17 IST
Reason: SelfAttested